ले जावेगी।

13.02.25

वकील एडवोकेट उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण का पेश कर निवेदन किया है कि उपरानी प्रकरण में तारीख पेशी किसी [illegible] नियत है। प्रकरण में संबंधित धारा 88, 188 [illegible] चालान को लागू कर Not Press करने [illegible] गई। दायर में अंकित वादी संख्या [illegible] 5 प्रतिवादगण वादी संख्या 2 व 3 भी वकील वादी के साथ उपस्थित हुए [illegible] वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 5 ने आरोपिका का अपने स्थानापन्न लिए वकील वादी ने पत्रावली वादी गण मनाने की ओर से Not Press की। जिसे आरोपिका का [illegible] अपने स्थानापन्न लिए। पत्रावली Not Press होने के कारण समाप्त की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:35:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
13-2-25